

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
प्रतिवासी अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या 239ए/2021

वादी

1. हणुताराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी सोनेली तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमाराम पुत्र शैतानराम
2. कानाराम पुत्र शैतानराम
3. हरीराम पुत्र शैतानराम जातियान जाट निवासी सोनेली तहसील जायल जिला नागौर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति -

1. वादी की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार पारासर

-:: डिक्री आदेश ::-

दिनांक - 16/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी हणुताराम के हक बंट में मौजा सोनेली के खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 717 रकबा 0.9065 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः ओमाराम, कानाराम, हरीराम का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण खसरे वादी हणुताराम की खातेदारी की घोषणा की जाती है।


सहायक कलक्टर
(राजस्व) जायल

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रम में: ओमाराम, कानाराम, हरिराम के हक बंट में मौजा सोनेली के खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 4.8724 हेक्टेयर, में से वादी हुणताराम का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है। तहसीलदार डेह को निर्देशित किया जाता है कि रकबा 0.2509 हेक्टेयर विनिमय में अधिशेष रहने से नियमानुसार उक्त रकबे पर भूमि अंतरण बाबत स्टाम्प शुल्क राजकोष जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/12/2022 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्जर		
फीस कमीष्जर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बाबत् इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल